न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 90/2019 अपील (GCMS 2019/00113)
पंजीयन दिनांक– 07/11/2019
निर्णय दिनांक– 27/02/2026

खेमराज पिता मोडीलाल दर्जी, निवासी पूजानगर झाड़ोल, तहसील झाडोल (फ), जिला उदयपुर

–अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार–झाड़ोल, जिला उदयपुर

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. सम्पतलाल बोहरा – वकील अपीलांट
2. मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–76, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 01/2018 निर्णय दिनांक 04.07.2019

निर्णय

दिनांक 27/02/2026

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 01/2018 निर्णय दिनांक 04.07.2019 के विरूद्ध पेश की गयी।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झाडोल स्थित आराजी नम्बर 626 रकबा 0.2000 हैक्टयर भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण कर गेहूं की फसल बोने की रिपोर्ट पर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

तहसीलदार, झाडोल ने धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर भूमि से बेदखल करने का आदेश दिनांक 20.11.2017 को पारित किया, साथ ही फसल जब्त सरकार कर 39/– पेनाल्टी भी आरोपित की। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर में प्रथम अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 04.07.2019 को खारिज की गई। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जहां से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का वर्ष 1983 से बिना किसी रूकावट निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट ने कब्जे के संबंधी सभी सबूत तहसीलदार के समक्ष पेश किया। ग्राम पंचायत झाडोल ने अपने पत्र दिनांक 17.05.1986 में भी कब्जा अपीलांट का माना है। भूमि नियमन हेतु भी ग्राम पंचायत ने अनुशंषा की। अपीलांट का पुराना कब्जा होते हुए भी प्रकरण नियमन हेतु नहीं भेजकर तहसीलदार ने भूल की है। तहसीलदार ने कब्जे के दस्तावेजों को अनदेखा कर अपीलांट को नियमन हेतु पात्र नहीं माना है। अति. जिला कलक्टर, उदयपुर ने यह कहकर कि मात्र कब्जे के आधार पर भूमि के आवंटन/नियमन का प्रयास करना अनुचित है, अपील खारिज कर दी जबकि अपीलांट का एक लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है जिससे वह नियमन किये जाने हेतु पात्र है। अन्त में अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर सत्यमेव जयते

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

आदेशों को निरस्त कर प्रकरण नियमन हेतु भेजने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2008 (1)आरजे पृष्ठ 670 पेश किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निरन्तर कब्जा नहीं होने से अपीलांट भूमि नियमन की पात्रता नहीं रखता है। तहसीलदार द्वारा दिया गया आदेश नियमानुसार है। अति. जिला कलक्टर, उदयपुर ने तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा जो सही है। अतः अपील को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा अपने खातेदारी से लगती हुई, बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अपना हक जताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के क्लेम को आवंटन/नियमन हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं आने तथा मात्र अतिक्रमण के आधार पर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को बेदखल किए जाने के आदेश को नियमानुकूल माना है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी के समीपवर्ती राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से प्राप्त करने की मंशा से पृथक–पृथक पत्रावलियॉं कायम करवाकर अपना क्लेम प्रस्तुत किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण की गई निरस्तगी को उचित समझा जाता है। अतिक्रमण के आधार पर राजकीय भूमियों के आवंटन/नियमन का प्रयास सर्वथा अनुचित होकर हतोत्साहन योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश दिनांक 04.07.2019 में किसी

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझा जाता है। अतः अपीलार्थी की अपील गुणावगुण के आधार पर पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा अतिक्रमित बिलानाम भूमि से की गई बेदखली को यथावत रखा जाता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर